



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 14.01.23

साइबर सेल टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग/एयर इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे से 19 मोबाइल फोन, 42000/- रुपये नकद, एयर इंडिया के नियुक्ति पत्र व 01 कार बरामद।

दिनांक 13.01.2022 को साइबर सेल टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग / एयर इंडिया में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले 06 अभियुक्तगण को गाँव ताजपुर पहाड़ी निकट प्रकाश पेट्रोल पम्प बदरपुर बॉर्डर बिल्डिंग के चौथे फ्लोर से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से ठगी में प्रयुक्त किये जाने वाले 19 मोबाइल फोन, 42000/- रुपये, एयर इंडिया के नियुक्ति पत्र व 01 कार बरामद किये गये। उक्त सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0स0-1462/2022 धारा 66 डी आई टी एक्ट पंजीकृत था। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ कर जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि गिरफ्तार अभियुक्तगण द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर सोशल मीडिया पर ऑनलाइन शॉपिंग का काम करते हैं जो सस्ते दामों/गिफ्ट में लोगों को वेबकूफ बनाने के लिये एड डालते हैं व अपना कॉन्टेक्ट नम्बर डालते हैं तथा कॉलिंग करके लोगों को नौकरी लगवाने का झाँसा देकर एवं लोगों को ऑनलाइन फ्री शॉपिंग का ऑफर देकर ठगी का काम करते हैं। अब तक सैकड़ों जरूरत मंदों को अपना शिकार बना चुके हैं। अभियुक्तगण विगत कई वर्षों से पूर्व में भी ठगी से सम्बन्धित अपराध कर रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण:-

- 1.** राजू पुत्र किशन सिंह निवासी ग्राम- तिलकागढ़ी, थाना – नौहड़ील, मथुरा
- 2.** सत्यपाल सिंह उर्फ कान्हा पुत्र रमेश चन्द्र निवासी ग्राम- अधियार, थाना –माँट, मथुरा उम्र -21 वर्ष
- 3.** महेश कुमार पुत्र प्रकाश सिंह निवासी- ग्राम – चौरोली, थाना- जेवर, जिला- गौतमबुद्ध नगर उम्र- 22 वर्ष
- 4.** नागेन्द्र उर्फ पंगा पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम- दौलताबाद, थाना – सैक्टर 17 पुराना फरीदाबाद उम्र -26 वर्ष
- 5.** शिवम पुत्र ध्रुव सिंह निवासी - के 2, 782 संगम बिहार, थाना- संगम बिहार नई दिल्ली
- 6.** अनुज पुत्र नरेश सिंह निवासी – सी 129 विश्वास पार्क उत्तम नगर, थाना- उत्तमनगर दिल्ली

अनावरित अभियोग का विवरण:-

- 1.** मु0अ0स0-1462/2022 धारा 66 डी आई टी एक्ट थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास:- उपरोक्त अभियुक्तों को हैदराबाद, मुम्बई, नैनीताल पुलिस द्वारा भी पूर्व में कार्यवाही की गयी है। इस सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 19 मोबाइल फोन,
2. 42000/- रुपये,
3. 01 कार
4. एयर इंडिया के फर्जी नियुक्ति पत्र

गिरफ्तार करने वाली टीम

साइबर सेल पुलिस कमिश्नरेट गा0बाद टीम व थाना कविनगर पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मोबाइल के द्वारा सट्टा खिलाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कौशाम्बी टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त गोविन्द पुत्र गंगाराम नि0- मं0नं0- 148 नियर शिव पार्क खोड़ा कालोनी गाजियाबाद मो0नं0- 9999488919 को सार्वजनिक शौचालय के पास कोशाम्बी से मय एक अदद मोबाइल के गिरफ्तार किया गया। उक्त के संबंध में थाना कौशाम्बी पर मु0अ0सं0 26/22 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता: -

1. गोविन्द पुत्र गंगाराम नि0- मं0नं0- 148 नियर शिव पार्क खोड़ा कालोनी गाजियाबाद

अभियोग का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 10/2018 धारा 13 जी एक्ट थाना लिंक रोड कमिश्नरेट गा0बाद।
 2. मु0अ0सं0 1827/2017 धारा 13 जी एक्ट थाना इंदिरापुरम कमिश्नरेट गा0बाद।
 3. मु0अ0सं0 27/2020 धारा 13 जी एक्ट थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गा0बाद।
 4. मु0अ0सं0 26/2023 धारा 13 जी एक्ट थाना कौशाम्बी कमिश्नरेट गा0बाद।
- अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

1. अपराध से संबंधित एक अदद मोबाइल vivo

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 सुशील कुमार
2. उ0नि0 दीपक कुमार
3. हे0का0 196 विकास कुमार

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित व 15000/- रु0 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

दिनांक 13.01.23 को थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा थाना लिंक रोड के मु0अ0सं0 623/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट वांछित ईनामिया अभियुक्त सरफराज उर्फ मंगला पुत्र मुजाहिर निवासी ग्राम झमटा थाना तारावाडी जिला अररिया बिहार हाल निवासी झुग्गी झोपडी ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष को मय एक तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर के सहित हज हाऊस के समीप झुग्गी झोपंडियो के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सरफराज उर्फ मंगला पुत्र मुजाहिर निवासी ग्राम झमटा थाना तारावाडी जिला अररिया बिहार हाल निवासी झुग्गी झोपडी ग्राम मकनपुर थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 623/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लिंक रोड

मु0अ0सं0 537/14 धारा 302,34 भादवि थाना न्यू अशोक नगर जनपद ईस्ट दिल्ली

मु0अ0सं0 55/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना साहिबाबाद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

एक तमन्चा व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 14.12.2022 को वादी अर्पित शर्मा निवासी 105 ए सहकारीनगर थाना कविनगर गाजियाबाद द्वारा थाना कविनगर पर शिकायत दर्ज की गई कि गुरमीत कौर द्वारा वादी से 31 लाख रुपये उधार लिया गया था जिसको वापस मांगने पर उनके द्वारा पैसा वापस करने से मना करते हुये जान से मारने की धमकी दी गई । इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0-1633/22 धारा 420/406/506/386 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

दिनांक 14/01/2023 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0-1633/22 धारा 420/406/506/386 भादवि के वांछित अभियुक्ताओं (1) मनरीत कौर पत्नी वकील सिंह पुत्र सुखदेव सिंह हाल पता मौहल्ला संतपुर थाना सिटी जिला कपूरकला पंजाब मूल पता – ग्राम हंसकला थाना जगरामा थाना सिटी कोतवाली जिला लुधियाना –उम्र करीब 34 वर्ष (2) गुरमीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासी उपरोक्त उम्र करीब 55 वर्ष को मौहल्ला सन्तपुर थाना सिटी कपूरथला से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता-

(1) मनरीत कौर पत्नी वकील सिंह पुत्र सुखदेव सिंह हाल पता मौहल्ला संतपुर थाना सिटी जिला कपूरकला पंजाब मूल पता – ग्राम हंसकला थाना जगरामा थाना सिटी कोतवाली जिला लुधियाना –उम्र करीब 34 वर्ष (2) गुरमीत कौर पत्नी सुखदेव सिंह निवासी उपरोक्त उम्र करीब 55 वर्ष

अभियोग का विवरण-

1 मु0अ0स0-1633/22 धारा 420/406/506/386 भादवि थाना कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना कविनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना लोनी पुलिस द्वारा दिनांक 13.01.2023 को राष्ट्रीय ध्वज मे गैस सिलेण्डर को लपेटकर मोटर साईकिल पर ले जाते हुए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से सम्बन्धित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13-01-2023 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमे स्पलेण्डर मोटर साईकिल न0 UP14 EP1756 पर सवार दो व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज मे गैस सिलेण्डर को लपेटकर ले जाते हुए दिख रहे है। थाना लोनी पुलिस द्वारा वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर तत्काल मु0अ0सं0 53/2023 धारा 2 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी, बाद विवेचना अभियुक्त विनोद पुत्र

गंगाराम नि० ग्राम लम्हेरा थाना रुरा जिला कानपुर देहात उ०प्र० को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

विनोद पुत्र गंगाराम नि० ग्राम लम्हेरा थाना रुरा जिला कानपुर देहात उ०प्र०

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु०अ०सं० 53/2023 धारा 2 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधि० थाना लोनी गा०बाद

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा लापता हुए 04 बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को किया सुपुर्द।

दिनांक 12.01.2023 को सिध्दार्थ बिहार बाग से 04 बच्चे उम्र करीब 8-12 वर्ष निवासी गण सिध्दार्थ बिहार बागू थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद लापता हो गये थे जिनके सम्बन्ध में थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पर मु०अ०सं० 0014/2022 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त बच्चों को पुलिस द्वारा तत्परता व सक्रियता से टीम गठित कर तलाश करते हुए पुरानी दिल्ली से बरामद किया गया। बच्चों से पूछा गया तो बताया कि वह स्वयं ही दिल्ली में लाल किला व इण्डिया गेट देखने व घूमने के लिये चले गये थे। जिनको सकुशल बरामद कर दिनांक 14.01.2023 को परिजनों के सुपुर्द किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मु०अ०सं० 0014/2023 धारा 363 भादवि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक कमिश्नरेट गाजियाबाद

बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. थाना क्रोसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम